न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:– 51/23

1. कल्याण पुत्र रामजीलाल
2. ज्ञानवती पत्नि कुमरसिंह
3. सरोज पत्नि हरीसिंह
4. मुकेश पुत्र रामजीलाल
5. निर्भय पुत्र रूग्गी
6. लोकेश पुत्र हरीसिंह
7. जितेन्द्र पुत्र हरीसिंह
8. मनीष पुत्र हरीसिंह
9. उर्मिला पुत्री रामजीलाल
10. कश्मीरा पुत्री रामजीलाल
11. ज्योति पुत्री हरीसिंह
12. निक्की पुत्री हरीसिंह
13. प्रीतम पुत्र रामजीलाल
14. केशूली पुत्री रामजीलाल
15. मिथलेश पुत्री हरीसिंह
16. रूपो पुत्री रामजीलाल
17. विरमा पुत्री रामजीलाल
18. रीनो पुत्री हरीसिंह
19. मंजो पुत्री हरीसिंह
20. वावी पुत्री हरीसिंह

सभी जाति जाटव निवासी गाजीपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान।

—— प्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार, तहसील बयाना, भरतपुर राजस्थान।
2. कल्लन पुत्र मौहरसिंह
3. बद्री पुत्र मौहरसिंह
4. विजयसिंह पुत्र मौहरसिंह

सभी गुर्जर निवासी गाजीपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सहपठित
धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक:– 30/1/2026

उपस्थितिः– श्री महेन्द्र भूषण शर्मा एड0 प्रार्थीगण
श्री बृजमोहन गुप्ता एड0 अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 04

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राजस्थान लैण्ड रैवन्यू के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि साविक आराजी खसरा नम्बर 136 मिन रकवा 14 बीघा 5 विस्वा ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना में स्थित है उक्त खसरा नम्बर के नवीन आराजी खसरा नम्बरान 270 रकवा 0.2 है0, 271 रकवा 0.30 हैक्टे0, 701 रकवा 1.62 हैक्टे0 कुल किता 3 कुल रकवा 1.94 हैक्टे0 बने है उक्त साविक आराजी खसरा नम्बर 136 मिन के मध्य में सडक बयाना से खरैरी, बागरैन, कलसाडा के लिये पुराने समय से बनी हुई है, जिसके कारण उक्त साविक आराजी खसरा नम्बर 136 मिन रकवा 14 बीघा 5 विस्वा सडक—खरैरी से तरफ पूर्व एवं तरफ पश्चिम दोनों साईड स्थित है साविक आराजी खसरा नम्बर 136 मिन से तरफ पूर्व में साविक आराजी खसरा नम्बर 135 स्थित है, साविक आराजी खसरा नम्बर 135 से नवीन आराजी खसरा नम्बरान 697, 697/1, 921

690, 700 बने है साविक आराजी खसरा नम्बर 136 मिन के उत्तर में साविक आराजी खसरा नम्बर 134, तरफ दक्षिण में साविक आराजी खसरा नम्बर 146 व तरफ उत्तर में साविक आराजी खसरा नम्बर 140 स्थित है साविक आराजी खसरा नम्बर 136 मिन रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा से बंन्दोबस्त में नवीन आराजी खसरा नम्बरान 270 रकबा 0.02 हैक्टे0, 271 रकबा 0.30 हैक्टे0 व 701 रकबा 1.62 हैक्टे0 बाद बन्दोबस्त अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा बन्दोबस्त प्रक्रिया द्वारा बनाये गये उक्त आराजी खसरा नम्बरान का राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी में मौका एवम रिकार्ड के अनुसार रकबा पूर्ण कर दिया गया है प्रार्थीगण उक्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवम् काबिज आराजी है साविक आराजी खसरा नम्बरान नम्बर में रामजीलाल, परभाती, बुद्धा पिसरान चिरमोली प्रार्थीगण के प्रेडीयर्स खातेदार काश्तकार एवम् काबिज है तथा नवीन आराजी खसरा नम्बरान में वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज है प्रार्थीगण की खातेदारी एवम् कब्जे काश्त की आराजी में (साविक आराजी खसरा नम्बर 136 मिन) उत्तर–पश्चिम कोने से सडक बयाना–कलसाडा (खरैरी, बागरैन) मार्ग, प्रारम्भ होकर उक्त आराजी खसरा नम्बरान के मध्य से तरफ दक्षिण के साविक आराजी खसरा नम्बर 146 में होकर उक्त खसरा नम्बर 146 के दक्षिण पूर्व से जा रहा है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के आराजी खसरा नम्बरान सडक बयाना–कलसाडा मार्ग से तरफ पूर्व व तरफ पश्चिम स्थित है तथा मौके के अनुसार सडक मार्ग को साविक किश्तकार नक्शा में प्रदर्शित किया हुआ है साविक आराजी खसरा नम्बर 146 से नवीन आराजी खसरा नम्बरान 272 एवम 699 बनाये गये है जिनके मध्य में होकर उक्त सडक मार्ग बना हुआ है साविक आराजी खसरा नम्बर 135 प्रार्थीगण के साविक आराजी खसरा नम्बर 136 मिन से तरफ पूर्व में है उक्त साविक आराजी खसरा नम्बर 135 का कोई भाग ना तो सडक मार्ग बयाना–कलसाडा से लगा हुआ है ना ही साविक आराजी खसरा नम्बर 135 में से बयाना–कलसाडा मार्ग बना हुआ है प्रार्थीगण के आराजी खसरा नम्बरान की सीमा तरफ पूर्व में साविक आराजी खसरा नम्बर 135 स्थित रहा है। यह कि बन्दोबस्त अधिकारियों व कर्मचारियों ने बन्दोबस्त के दौरान साविक नक्शा किश्तवार से नवीन नक्शा किश्तवार, बन्दोबस्त नवीन आराजी खसरा नम्बरान से तैयार किया है सडक मार्ग बयाना कलसाडा का नवीन आराजी खसरा नम्बर 230 बनाया गया है बन्दोबस्त पूर्व नक्शा किश्तवार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी एवम मौके पर वास्तविक कब्जा के अनुसार सडक मार्ग बयाना कलसाडा से तरफ पूर्व एवम तरफ पश्चिम प्रार्थीगण की खातेदारी एवम कब्जे की आराजी स्थित है, तथा प्रार्थीगण मौका एवम रिकार्ड के अनुसार आराजीयात पर काबिज है जिसके अनुसार नवीन आराजी खसरा नम्बर 700 जिसे नक्शा किश्तवार में प्रार्थीगण के नवीन आराजी खसरा नम्बर 701 से तरफ दक्षिण एवम नवीन आराजी खसरा नम्बर 699 के तरफ उत्तर व सडक मार्ग से तरफ पूर्व में दर्शाया गया है पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त मौका व रिकार्ड के अनुसार चला आ रहा है और नवीन आराजी खसरा नम्बर 700 प्रार्थीगण की खातेदारी एवम कब्जे की आराजी साविक आराजी खसरा नम्बर 136 मिन का भाग है परन्तु राजस्व व बन्दोबस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती व भूल से आराजी नवीन खसरा नम्बर 700 को प्रार्थीगण के साविक आराजी खसरा नम्बर 136 मिन से न बनाकर अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी साविक आराजी खसरा नम्बर 135 से बनाकर गलत तरीके से अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कर दिया है तथा नक्शा किश्तवार बनाते हुये उक्त नवीन आराजी खसरा नम्बरान को प्रार्थीगण की खातेदारी एवम कब्जे वाली साविक आराजी खसरा नम्बर 136 मिन के स्थान पर गलत रूप से अंकित कर दिया है जबकि आराजी खसरा नम्बर 700 प्रार्थीगण की आराजी साविक खसरा नम्बर 136 मिन का ही भाग है। साविक आराजी खसरा नम्बर 136 मिन के सम्पूर्ण रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है, नवीन जमाबन्दी बन्दोबस्त के बाद तैयार की है, उसमें प्रार्थीगण के रकबा को साविक आराजी खसरा नम्बरान के अनुसार पूर्ण कर दिया है परन्तु राजस्व एवम बन्दोबस्त अधिकारियों व कर्मचारियों ने बन्दोबस्त के दौरान बनाये गये नवीन नक्शा किश्तवार में प्रार्थीगण के रकबा को मौका व रिकार्ड के अनुसार कम कर दिया है, जिससे मौका व रिकार्ड के विपरीत प्रार्थीगण का रकबा नक्शा किश्तवार में कम हो गया हैं साविक

नक्शा किश्तवार व रिकार्ड से वर्तमान नक्शा किश्तवार में प्रदर्शित आराजी नवीन आराजी खसरा नम्बर 700 रकबा 0.10 हैक्टे0 पर प्रार्थीगण का कब्जा है, जो कि प्रार्थीगण के साविक आराजी खसरा नम्बर 136 मिन का ही भाग है, परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में बन्दोबस्त अधिकारियों व कर्मचारियों ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 700 रकबा 0.10 हैक्टे0 साविक आराजी खसरा नम्बर 135 में से बनाना बताकर अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 के रकबा में सम्मिलित कर दिया गया है उक्त गलती व भूल, बन्दोबस्त अधिकारियों व कर्मचारियों से होने से नक्शा किश्तवार व राजस्व रिकार्ड में त्रुटि हो गयी है एवं उक्त त्रुटि व भूल सुधार कर साविक नक्शा किश्तवार व साविक राजस्व रिकार्ड व मौके अनुसार सुधार कर नवीन नक्शा किश्तवार व राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है अन्यथा प्रार्थीगण को उक्त गलती व त्रुटि के कारण बहुत ही ज्यादा क्षति होने की व अपने निहित अधिकारों से बंचित होने की पूर्ण संम्भावना है।

अन्त में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर साविक आराजी खसरा नम्वर 136 मिन रकवा 14 बीघा 5 विस्वा स्थित ग्राम गाजीपुर तहसील वयाना से बनाये गये नवीन आराजी खसरा नम्बरान 270, 271, 701 एवम साविक आराजी खसरा नम्वर 135 से वनाये गये नवीन आराजी खसरा नम्बरान 697, 697/1121, 698 व 700 को मौका एवम साविक रिकार्ड के अनुसार सही व शुद्ध किया जाकर साविक नक्शा किश्तवार अनुसार नवीन नक्शा किश्तवार में संशोधन कर मौके के अनुसार सहीं किया जाकर आराजी खसरा नम्वर 700 को प्रार्थीगण के खाते में दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार बयाना को रिपोर्ट हेतु लिखा गया। अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 04 जरिये वकालतनामा न्यायालय हाजा उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 04 की ओर से प्रकरण में अपना जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र की अंधिकाश मदों को अस्वीकार किया। अपने विशेष कथन में अंकित किया है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र बन्दोवस्त से लगभग बीस वर्ष बाद पेश किया है जो अन्दर म्याद नहीं है प्रार्थना पत्र में बार-बार एक ही तथ्य को रिपीट किया गया है जो कि गैरकानूनी है। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर-10 में प्रार्थना पत्र पेश करने की तारीख व स्थान व कारण व धमकी तक नहीं लिखी है अतः बिना वाद कारण उत्पन्न होने से यह प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है प्रार्थना पत्र में अन्य इस खातों में व नक्शा में दर्शाये खातेदारान से पक्षकार नहीं बनाकर कानूनी भूल की है इस आधार पर यह प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कोई वाद कारण व धमकी व प्रार्थना पत्र अवधि में पेश है का विवरण नही लिखा है अतः यह प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है प्रार्थना पत्र की प्रार्थना में भी कोई तथ्य नहीं लिखे है। प्रार्थना पत्र धारा 136, 111, 128 एल.आर.एक्ट में पेश किया है जबकि तथ्य सैटिलमेंट कर्मचारियों ने सैटिलमेंट में गलती की है लिखा है। न्यायालय को सैटिलमेंट के विरुद्ध इस प्रकरण को सुनने का कोई अधिकार नहीं है।

तहसीलदार बयाना ने उक्त प्रकरण में रिपोर्ट पत्रांक/LR/25/1885 दिनांक 20. 05.25 से पेश की। तहसीलदार बयाना ने अपनी उक्त रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम गाजीपुर के साविक खसरा नम्बर 136 रकवा 12 बीघा संवत् 2038-41 में प्रार्थीगण के पूर्वज सा0 देह कृषक कस्टोडियन दर्ज रिकार्ड है। तथा उक्त साविक खसरा नम्बर 270/0.02, 271/0.30, 701/1.62 बनाये गये है जो वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। ग्राम गाजीपुर के साबिक खसरा नम्बर 135 रकवा 8 बीघा 6 विस्वा संवत् 2038-41 में मकवूजा महकमा पंचायत कमेटी दर्ज रिकार्ड है साविक खसरा नम्बर 135 के नवीन खसरा नम्बर 697/0.85, 698/0.17, 700/0.10, 697/1121/0.22 बनाये गये है जो कि वर्तमान में अप्रार्थीगण संख्या 2, 3, 4 के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 701 का रकवा जमाबंदी अनुसार 1.62 हैक्टे0 दर्ज है तथा 701 खसरा नम्बर की रकवा बरारी करने पर 1.30 हैक्टे0 बैठता है एवं अप्रार्थीगण संख्या 2, 3, 4 के नाम दर्ज ख0 न0 700 का रकवा जमाबंदी अनुसार रकवा 0.10 हैक्टे0 है जिसकी रकवा बरारी करने पर 0.42 हैक्टे0 बैठता है जो कि अधिक है। वर्तमान में आराजी खसरा नम्बर 700 जो कि नक्शे में जमाबंदी के मुकाबले में 0.32 हैक्टे0 अधिक बना है तथा खसरा नम्बर

701 का रकबा जमाबंदी के मुकाबले नक्शे में 0.32 हैक्टे0 छोटा बना हुआ है इस प्रकार 700 से 701 में देने पर दोनों का रकबा सही हो जायेगा।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष को सुना। एड0 प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

एड0 अप्रार्थीगण ने अपने तर्को में कहा कि अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 04 के कानूनन खसरा नम्बर 135 से सही व सत्य बनाये गये व उनके देरीना पूर्वजों के समय से कब्जेकाश्त में चले आ रहे है। खसरा नम्बर 700 रकबा 0.10 के रकबे को इस गलत प्रार्थना पत्र की आड में प्रार्थीगण हडपने पर आमादा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषकगण को सुनने के उपरान्त पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 ग्राम गाजीपुर, मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध विभाग ग्राम गाजीपुर, पी–35 क्रमांक 6237 दिनांक 16.10.2023, जमाबन्दी ग्राम गाजीपुर सम्वत 2037–40, अक्श शजरा मौजा गाजीपुर, तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट पत्रांक/LR/25/1885 दिनांक 20.05.25 का गहनता से अवलोकन किया। तर्को पर मनन एवं पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात के अध्ययन से निष्कर्ष आता है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बयाना को आदेशित किया जाता है कि साविक आराजी खसरा नम्बर 136 मिन रकवा 14 बीघा 5 विस्वा स्थित ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना से बनाये गये नवीन आराजी खसरा नम्बरान 270, 271, 701 एवम साविक आराजी खसरा नम्बर 135 से बनाये गये नवीन आराजी खसरा नम्बरान 697, 697/1121, 698 व 700 को मौका एवम साविक रिकार्ड के अनुसार सही व शुद्ध किया जाकर साविक नक्शा किश्तवार अनुसार नवीन नक्शा किश्तवार में संशोधन कर मौके के अनुसार सहीं किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 700 को प्रार्थीगण के खाते में दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को पालनार्थ भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30/1/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना

न्यायालय उप जिला कलक्टर बयाना (भरतपुर)